भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 804
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान चालक दल द्वारा सामूहिक रूप से बीमार होने की सूचना

804. श्री जय प्रकाशः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 12 जून, 2025 को एअर इंडिया-171 दुर्घटना के बाद, एअर इंडिया के उड़ान चालक दल के सदस्यों द्वारा बड़े पैमाने पर बीमार होने की सूचना दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उनके तनाव को कम करने के लिए आघात पश्चात् मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं का आयोजन जैसे उपचारात्मक उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): मेसर्स एअर इंडिया ने एआई-171 दुर्घटना के पश्चात सभी बेड़ों के पायलटों द्वारा चिकित्सा अवकाशों में मामूली वृद्धि की सूचना दी है। दिनांक 16.06.2025 को कुल 112 पायलटों ने अस्वस्थ होने की सूचना दी, जिनमें 51 कमांडर (पी1) और 61 प्रथम अधिकारी (पी2) शामिल थे।

(ख) से (ग): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ान चालक दल और एटीसीओ के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में डीजीसीए फाइल संख्या एवी/22025/25A/डीएमएस/एमईडी दिनांक 22 फ़रवरी, 2023 (2023 का चिकित्सा परिपत्र 01) के माध्यम से पहले ही चिकित्सा परिपत्र जारी कर दिया है, जिसमें प्रचालकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) और डीजीसीए पैनलबद्ध चिकित्सा परीक्षकों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसका विवरण निम्नानुसार हैं:-

(i) मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए त्वरित और प्रभावी उपायों की सिफारिश की जाती है, जिन्हें डीजीसीए के पैनल में शामिल चिकित्सा परीक्षकों द्वारा श्रेणी 1/2/3 चिकित्सा परीक्षा के दौरान सुगमता से किया जा सकता है।

ii) सभी एयरलाइन प्रचालकों को मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को पहचानने और प्रबंधित करने के लिए उड़ान चालक दल/एटीसीओ के लिए एक पृथक, स्वतंत्र और अनुकूलित प्रशिक्षण कैप्सूल आरंभ करने का भी परामर्श दिया गया है।

(iii) इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य निगरानी पर, संगठनों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित प्रचालकों, एफटीओ और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को अपने कर्मचारियों के लिए सहकर्मी सहायता कार्यक्रम (पीएसपी) स्थापित करने का भी परामर्श दिया गया है। संगठनों के लिए इस सक्रिय और गैर-दंडात्मक कार्यक्रम तक पहुंच को सक्षम, सुगम और सुनिश्चित करना अपेक्षित है, जो उड़ान चालक दल/एटीसीओ को किसी भी समस्या को पहचानने, उससे निपटने और उसका समाधान करने में सहायता और समर्थन प्रदान करेगा।

******